A-II
दावा - 52/22

शिवराज मीणा बनाम रामनारायण

कार्यालय टिप्पणी

आज दिनांक 6/4/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य से व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/4/23 को पेश हो।

6/4/23 पत्रावली प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र तत्काल एवं शीघ्र सुनवाई पेश किये जाने बाद नियत पेशी से पूर्व आज दिनांक पेशी पर लाई गई। वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाबत पिट्ठू सिंचे जाने पेश किया। प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता वकील वादी के स्थान पर निवेदन किया गया कि पत्रकारों के मध्य राजीनामा हो गया है अतः वादी अपना वाद नोटरेज के खारिज करवाना चाहता है। वादी द्वारा अपना हस्ताक्षर ओरिजिनल पर किये जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई। अब स्वयं वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी का वाद पिट्ठू के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के बस्ते में दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6/4/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

शिवराज मीणा
Advocate
(अभिभाषक)
6/4/2023